

R.B.E. No. 126/92

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

No.E(W)91PS5-13/2

New Delhi dated 31.7.92

The General Managers,  
All Indian Railways.

Sub: Issue of duty card passes to the  
Personnel of Government Railway  
Police.

Reference Board's letter of even number dated 21.2.86 regarding issue of duty card passes to the Government Railway Police Personnel.

2. With reference to para 1(v) of the above orders, Board desire to clarify that, only in respect of Gazetted officers of the GRP who are in scales of pay not less than Rs.2000-3500, passes may be issued with an endorsement permitting the officer's family to accompany him while touring within the jurisdiction. The other conditions stipulated in para 1(v) of Board's letter dated 21.2.86 remain unaltered.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

*V. Vaidehi*

(V. Vaidehi)  
Desk Officer, E(W)  
Railway Board.

No.E(W)91PS5-13/2

New Delhi dated 31.7.92

Copy to

The Secretary, Home Department of all State Governments and Union Territories, with a request to suitably incorporate/amend their G.R.P. Regulations in relation to issue of Passes.

*V. Vaidehi*

(V. Vaidehi)  
Desk Officer, E(W)  
Railway Board.

Copy to

D.G./RPF., Security(E)  
Security(Spl.) and G(Pass), F(E)IIIBranch.

DDE(R)II (2 copies)

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड

सं. ईडब्ल्यू 91 पी एस 5-13/2

नई दिल्ली, दि 31.7.1992

महाप्रबंधक,  
सभी भारतीय रेलें ।


विषय:- राजकीय रेलवे पुलिस के कार्मिकों को इयूटी  
कार्ड पास जारी करना ।

=====

यह पत्र बोर्ड के 21.2.86 के पत्र के संदर्भ में है जो राजकीय रेलवे  
पुलिस के कार्मिकों को इयूटी कार्ड पास जारी करने के संबंध में है ।

उपरोक्त आदेशों के पैरा 1.1 के संदर्भ में, बोर्ड यह स्पष्ट करना  
चाहता है कि रा.रे.पु. के केवल उन राजपत्रित अधिकारियों, जिनका वेतनमान  
2000-3500रू. से कम न हो, को इस पृष्ठांकन के साथ पास जारी किए जाएं  
जिसमें अधिकारी के परिवार को उसके साथ जाने की अनुमति दी गयी हो जब  
वह अपने अधिकार क्षेत्र में दौरा करता है । बोर्ड के 21.2.86 के पत्र के पैरा 1.1  
में नियत अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा  
रहा है ।



श्री. वैदेही


डेस्क अधिकारी, स्था. कल्याण,

रेलवे बोर्ड.

सं. ईडब्ल्यू 91 पी एस 5-13/2

नई दिल्ली, दिनांक 31.7.1992

प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के गृह विभाग के  
सचिव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पास जारी करने के संबंध में अपने रा.रे.पु.  
विनियमों की उचित रूप से सम्मिलित / संशोधित करें ।



श्री. वैदेही

डेस्क अधिकारी, स्था. कल्याण/रे. बो.

प्रतिलिपि महानिदेशक/रे. सु. ब., सुरक्षा स्था.,  
सुरक्षा वि. सामान्य पास तथा स्फ. शाखाएं ।